<u>उत्तर प्रदेश शासन,</u>

<u>पर्यटन अनुभाग,</u>

<u>संख्या-8/623/41-2014-25 सा0/14</u>

लखनऊ: दिनांक-04 मार्च, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश विविधतापूर्ण पर्यटन आकर्षणों का प्रदेश है। फलत: यहॉ स्वाभाविक रूप से पर्यटन की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं। पर्यटन आकर्षणों की विपुलता के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटकों, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के आवागमन की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसका मुख्य कारण पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास में कमी और उनका अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप न होना, पर्यटन स्थलों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जन-सुविधाओं का अभाव, पर्यटन स्थलों तथा आयोजनों का समुचित प्रचार-प्रसार न होना, अन्य प्रदेशों की तुलना में विभागीय बजट का काफी कम होना एवं विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी इत्यादि का होना है। इन विषमताओं के कारण समस्त पर्यटन सम्भावनाओं के होते हुए भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी प्रभावी छवि के साथ परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। इस उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त् प्रदेश में पर्यटन विकास को गति प्रदान करने हेतु उच्चस्तरीय पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन एत्ददद्वारा किया जाता है जिससे कि प्रदेश में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं के दोहन एवं पर्यटन उद्योग जनित समस्याओं के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही किया जाना सुविधाजनक हो सके और उत्तर प्रदेश को एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके।

2. पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के रूप में गठित समिति के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं और पर्यटन प्रोत्साहन के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श के साथ-साथ तात्कालिक रूप से पारित निर्णय और उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराना सहज हो सकेगा। इस दृष्टि से परिषद के मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विविध आकर्षणो-नैसर्गिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण तथा परिवर्धन, प्रदेश को देश के प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित तथा प्रोत्साहित करना, विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों तथा स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास/प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के साधनों का सृजन तथा सांस्कृतिक धरोहरों एवं परम्पराओं को प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षित करना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. पर्यटन परिषद को सर्वतोन्मुखी एवं उद्देश्यपरक बनाने हेतु निम्नानुसार इसका गठन किया जाता है:-

क- माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन-अध्यक्ष
ख- मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
ग- मा0 पर्यटन राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
घ- मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 रा0पर्यटन विकास निगम।
ड. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
च- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
छ- प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
ज- प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
झ- प्रमुख सचिव वन/मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
त्र- प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन।
ट- प्रमुख सचिव कर निबंधन, उत्तर प्रदेश शासन।
ठ- प्रमुख सचिव पर्यटन, उत्तर प्रदेश शासन।
ड- महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश-सदस्य सचिव।
ढ़- पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 11 से अनधिक व्यक्ति/संस्थाओं के सदस्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित किये जायेगें, ये सदस्य पर्यटन उद्योग के निम्न वर्णित क्षेत्रों से सम्बन्धित होंगे-

1. होटल उद्योग।
2. रिजार्ट उद्योग।
3. टूअर आपरेटर।
4. टूअर आपरेटर (बौद्व परिपथ विशेषज्ञ)।
5. ट्रेवल एजेन्ट।
6. ट्रेवल एजेन्ट (बौद्व परिपथ विशेषज्ञ)
7. उत्तर प्रदेश हैरिटेज हॉस्पिटेलिटी एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।
8. सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग।
9. फिल्म निर्माण उद्योग।
10. ट्रैवेल राइटिंग।
11. साहित्य जगत।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर विशेष आमंत्रियों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है।

2- पर्यटन प्रोत्साहन परिषद किसी व्यक्ति को परिषद की बैठक में किसी विषय पर परामर्श देने या सहयोग करने के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकती है।

3- पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के सदस्यों के बैठक में भाग लेने अथवा परामर्श देने हेतु कोई मानदेय देय नहीं होगा।

4- परिषद द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा क्रियान्वयन का उत्तर दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

5- पर्यटन परिषद के दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग की बजट व्यवस्था से कराया जायेगा।

6- पर्यटन परिषद की बैठक प्रत्येक तीन मास में अथवा उससे पूर्व, यदि आवश्यक हो तो, मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से महानिदेशक, पर्यटन द्वारा आहूत किया जायेगा।

4- **पर्यटन परिषद के कार्य:-**

1- प्रदेश में पर्यटनोन्मुखी वातावरण एवं पर्यटन क्षेत्र में निवेश हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

2- पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण स्थलों/आयोजनों को प्राथमिकताबद्व तरीके से विकसित करना एवं प्रचार-प्रसार हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

3- प्रदेश के पर्यटन विकास हेतु प्रचलित नीतियों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना।

4- अन्य प्रदेशों एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन विकास से जुडे कार्यो एवं आयोजनों की समीक्षा एवं तदनुसार प्रदेश में उक्त के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

5- प्रदेश के पर्यटन विकास हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुरूप परियोजनाओं हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

संजीव सरन
प्रमुख सचिव

http://shrsanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-8/623 (1)/41-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री/मा0 पर्यटन राज्य मंत्री, मा0 सलाहकार, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ
5. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
8. समिति के समस्त सदस्य।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in